निदेशालय

महानिदेशक, गृह रक्षा, राजस्थान, जयपुर।

फोन :- 0141-2612591, फैक्स : 0141-2603407, ई-मेल : psa.hgcd.rj@nic.in
Website : http://rajasthanhomeguards.gov.in/

क्रमांकः प.37 ( )गृरमु/पीएसएएल/2019/23982 दिनांकः 25 NOV 2019

सार्वजनिक सूचना

विषय :- प्राइवेट सुरक्षा अभिकरण (विनियमन) अधिनियम-2005 एवं राजस्थान प्राईवेट सुरक्षा एजेन्सी (विनियमन) नियम 2006 के नियमो का उल्लंघन करने पर दण्डित किये जाने के सम्बन्ध में।

प्राइवेट सुरक्षा अभिकरण (विनियमन) अधिनियम-2005 के तहत निजी सुरक्षा एजेन्सी का लाइसेन्स प्राप्त करने वाले आवेदक द्वारा लाइसेन्स प्राप्त करने के पश्चात अभिकरण के प्रचालन में पसारा अधिनियम की धारा 9,10,11,12,15,17 एवं 21 तथा राजस्थान प्राईवेट सुरक्षा एजेन्सी (विनियमन) नियम 2006 के नियम 6,7,8,9,10,15,16 एवं 17 की पालना करना अति आवश्यक है।

नियंत्रक प्राधिकारी के संज्ञान में आया है कि राज्य में कार्यरत प्राइवेट सुरक्षा अभिकरणो द्वारा प्राइवेट सुरक्षा अभिकरण (विनियमन) अधिनियम-2005 एवं राजस्थान प्राईवेट सुरक्षा एजेन्सी (विनियमन) नियम 2006 के तहत अनुज्ञापत्र की उपरोक्त शर्तो एवं नियमों की पालना नही की जा रही है, जो कि पसारा अधिनियम 2005 की धारा 20 (2) के तहत दण्डनीय है।

अतः राज्य में कार्यरत समस्त निजी सुरक्षा अभिकरणों को निर्देशित किया जाता है कि प्राइवेट सुरक्षा अभिकरण (विनियमन) अधिनियम-2005 एवं राजस्थान प्राईवेट सुरक्षा एजेन्सी (विनियमन) नियम 2006 के सभी प्रावधानो की पूर्ण रूप से पालना किया जाना सूनिश्चित करे। अन्यथा दोषी पाये जाने वाले अभिकरणो के विरूद्ध नियमानुसार अभियोग एवं लाइसेन्स निरस्तीकरण की कार्यवाही अमल में लाई जायेगी।

25.11.19

(राजीव दासोत,I.P.S.)
नियंत्रक प्राधिकारी
(महानिदेशक)
गृह रक्षा, राजस्थान,
जयपुर।

Scanned by CamScanner